पंचदश

बिहार विधान-सभा

दशम् सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि $\frac{\text{07 श्रावण 1935 (श0)}}{\text{29 जुलाई, 2013 (ई0)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या-51

(1) गृह विभाग	..	..	37
(2) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	..	01
(3) उद्योग विभाग	..	..	02
(4) वित्त विभाग	..	..	01
(5) सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	03
(6) सांख्यिक वित्त विभाग	..	..	04
(7) सूचना प्रावैधिकी विभाग	..	..	01
(8) गन्ना उद्योग विभाग	..	..	02
	कुल योग	..	51

थाना का दर्जा

* 1. श्री कुमार शैलेन्द्र—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के बिहपुर प्रखंड में एक ही थाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नारायणपुर प्रखंड अन्तर्गत भवानीपुर ओ0पी0, बिहपुर प्रखंड अन्तर्गत झंडापुर ओ0पी0 का भी केस दर्ज बिहपुर थाना में ही होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों ओ0पी0 को पूर्ण थाना का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

* 2. श्री राजेश्वर राज—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत विक्रमगंज थाना का भवन काफी जर्जरावस्था में होने से अभिलेखों को संरक्षित रखने एवं कर्मियों को कार्य सम्पादन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त थाना भवन का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई का औचित्य

'क'–* 3. श्री विक्रम कुँवर—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 3048/06 में दिनांक 22 फरवरी, 2011 एवं दिनांक 18 मई, 2012 को पारित आदेश के आलोक में कम्पनी रजिस्ट्रार (उ0क्षेत्र0), दिल्ली–हरियाणा ने बैपटिस्ट ईसाइयों की संस्था बैपटिस्ट चर्च ट्रस्ट एसोसियेशन की अवैध और अनियमित क्रियाकलापों की जाँच कर जाँच रिपोर्ट मुख्य सचिव, बिहार सरकार को अपने पत्रांक आर0ओ0सी0 24261, दिनांक 15 जनवरी, 2013 के द्वारा भेजकर समुचित कार्रवाई का अनुरोध किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि रिट याचिका संख्या 3048/06 में माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश दिया है कि यदि याचिकाकर्ता के आरोप सही पाये जाते हैं तो अधिकतम तीन माह में जाँच कर सक्षम प्राधिकार के द्वारा उन बैपटिस्ट परिसम्पत्तियों को मुक्त कराया जाये जो अवैध तरीकों से गैर–बैपटिस्टों द्वारा डिस्पोज ऑफ कर दी गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा जाँच प्रतिवेदन मुख्य सचिव को अपने पत्रांक 24261, दिनांक 15 जनवरी, 2013 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है ?

लक्ष्य पूरा करना

* 4. श्री तारकिशोर प्रसाद—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराने हेतु जिला के भारतीय स्टेट बैंक, सेन्ट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सहित अन्य बैंकों को 186 आवेदकों को ऋण देना था ;

(2) क्या यह बात सही है कि 186 आवेदकों को ऋण देने के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 79 आवेदकों को ऋण मुहैया कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त योजना को शत–प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट—'क' उद्योग विभाग को स्थानांतरित।

कब्रिस्तानों की घेराबन्दी

* 5. श्री विनोद प्रसाद यादव—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के नगर पंचायत में चन्दा लोदी शहीद, दुबेबार बुढ़ी नदी के किनारे ग्राम–ढाब, लक्षनैती, करहारा एवं जयपुर साईटोला, आमस प्रखंड के बलियारी, सिहुली का शेष भाग तथा डोभी प्रखंड के सीताचक, बभनदेव, गरबैया, बहेरा, करहारा, रामपुर, घोड़ाघाट, अहमदनगर बाजार, करमौनी, जोल्हबिगहा, बजौरा एवं नीमा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक केन्द्र खोलना

* 6. श्री प्रेम रंजन पटेल—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि लक्खीसराय जिलान्तर्गत सूर्यगढ़ा प्रखंड मे अग्निशामक नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 3 लाख की आबादी वाला सूर्यगढ़ा प्रखंड में आगलगी होने पर जिला में एक मात्र अग्निशामक यंत्र को आने में अधिक समय लगता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि अग्निशामक यंत्र के देर से आने के कारण आगलगी में जान–माल की क्षति होती है, यदि हाँ, तो सूर्यगढ़ा प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबन्दी

* 7. श्री राजेश्वर राज—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के काराकाट प्रखंडान्तर्गत ग्राम–मोथा, धनछुहा एवं जहनपुरा में अवस्थित कब्रिस्तानों की घेराबन्दी हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा वर्ष जून, 2011, अप्रैल, 2012 एवं दिसम्बर, 2012 में संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किये जाने के बावजूद भी अभीतक घेराबन्दी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबन्दी

* 8. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत दिलारपुर ग्राम पंचायत वार्ड संख्या 17 के शेख टोला और कोसवन कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दोनों कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

* 9. श्री विक्रम कुँवर—स्थानीय हिन्दी दैनिक समचार–पत्र में दिनांक 15 अप्रैल, 2013 को प्रकाशित "मनाही के बावजूद 13 विभागो को तोड़ने नियम" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—–

(1) क्या यह बात सही है कि मनाही के बावजूद शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग सहित 13 विभागों ने 1375 करोड़ रुपये की निकासी कर ली है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नये ट्रेजरी कोड में स्पष्ट प्रावधान है कि ए0 सी0 बिल के आधार पर की गयी राशि का जब तक डी0 सी0 बिल समर्पित समायोजित नही कर दिया जाता है तब तक दूसरी राशि का निकासी नहीं हो सकती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराते हुए मनाही के बावजूद निकासी करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कौन–सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) यह सही नही है कि योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कोषागार से राशि की निकासी पर मनाही है। प्रावधानों के अधीन आवश्यकतानुसार ए0 सी0 विपत्र पर निकासी की जा सकती है। प्रश्न में जिस समाचार का प्रसंग लिया गया है उसके अनुसार वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में 01 अक्टूबर, 2011 से 31 दिसम्बर, 2012 तक कुल राशि की निकासी 1375 करोड़ रु0 नही है अपितु 1440.29 करोड़ रु0 है।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है। कार्यालय व्यय के लिए निकासी की गयी राशि का डी0 सी0 विपत्र समर्पित करने हेतु छः माह तथा निर्माण कार्य हेतु अग्रिम राशि की निकासी कर लोक निर्माण विभाग तथा अपने अधीन गठित किसी बोर्ड /निगम/सोसाइटी/प्राधिकार को हस्तगत कराने की स्थिति में डी0 सी0 समर्पित करने की सीमा 12 माह नियत है। लेकिन 6 माह तथा 12 माह के अंदर अगले ए0 सी0 विपत्र की निकासी पर रोक नही है।

(3) अभी तक सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि किसी प्रकार की अनियमित अग्रिम निकासी की गयी है। ऐसी स्थिति में किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई का कोई प्रश्न नही है।

संसाधनों को पूरा करना

* 10. श्री संजय सिंह टाइगर—स्थानीय हिन्दी दैनिक समचार पत्र मे दिनांक 15 अप्रैल, 2013 को प्रकाशित शीर्षक "ऐसे में कैसे बुझेगी आग" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार प्रदेश की 10 करोड़ आबादी है, जिसमें 368 दमकल एवं 1739 ही दमकल कर्मी हैं, जिससे आये दिन अचानक लगी आग को बुझाने में असमर्थ साबित हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अग्निशामक विभाग में संसाधनों की कमी के कारण राज्य मे आग लगी की घटनायें वर्ष 2008 में 2331, 2009 में 3898, 2010 में 4479, 2011 में 3724 एवं 2012 में 1500 तथा नुकसान क्रमशः 7 अरब 47 करोड़, 62 करोड़, 1 अरब 9 करोड़, 41 अरब तथा 5 करोड़ रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अग्निशामक विभाग को संसाधनों को पूरा करते हुए राज्य में बढ़ती अग्नि कांड की घटनाओं को कबतक रोकना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

गिरफ्तार करना

* 11. श्रीमती मुन्नी देवी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत शाहपुर थाना कांड सं0 23/11 एवं 63/13 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी आजतक नही हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कांडों के सूचक श्री राजेन्द्र ओझा एवं कमलकिशोर मिश्रा सहित अन्य गवाह को लगातार धमकी मिल रही है जिसके बाद सूचक एवं गवाह द्वारा जिलाधिकारी, भोजपुर से लेकर मुख्य मंत्री, बिहार को दिनांक 13 फरवरी, 2013 को सूचना दी गयी है परन्तु आजतक सूचक एवं गवाह को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करायी गयी है जिसके कारण उक्त कांड में गवाही नहीं हो पा रही है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त कांडों के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने सूचक एवं गवाह को सुरक्षा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आयोग की स्थापना

* 12. श्री नितिन नवीन—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2005–06 में निर्णय लिया था कि राज्य के सभी विभागों में नियुक्ति एवं नियोजन में तीन प्रतिशत विकलांगों को आरक्षण के आधार पर नियुक्ति/नियोजन करेगी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त निर्णय के आलोक में राज्य में होने वाली नियुक्ति/नियोजन में यह प्रक्रिया सही रूप से नहीं अपनायी जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नियुक्ति/नियोजन में राज्य सरकार के निर्णय को पूर्णरूपेण लागू करने हेतु राज्य विकलांग आयोग की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक खोलना

* 13. श्रीमती नीता चौधरी—क्या मंत्री, सांख्यिक (वित्त) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के टेटिया बम्बर प्रखंड के बनगामा पंचायत अन्तर्गत राजारानी तलाब में अभी तक बैंक की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है,यदि हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

बकाया का भुगतान

* 14. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही कि पूर्वी चंपारण के केसरिया, कल्याणपुर संग्रामपुर सहित अन्य इलाके के किसानों ने वर्ष 2012–13 सत्र में विष्णु सुगर मिल्स तथा भारत सुगर मिल्स गोपालगंज को गन्ना आपूर्ति किया था, जिसमें हजारों किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किसानों को गन्ना आपूर्ति का पैसा भुगतान नहीं होने से काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या वर्ष 2012–13 में आपूर्ति किये गये गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान कराने का सरकार विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

* 15. श्री अरूण शंकर प्रसाद—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीमावर्ती जिला मधुबनी पुलिस बल में पुलिस निरीक्षक के कुल स्वीकृत पद 08 के विरुद्ध, 06 कार्यरत, 02 पद रिक्त, अवर निरीक्षक के कुल स्वीकृत पद 223 के विरुद्ध 143 कार्यरत एवं 80 पद रिक्त, सहायक अवर निरीक्षक के कुल स्वीकृत पद 124 के विरुद्ध 96 कार्यरत एवं 28 पद रिक्त, हवलदार के कुल स्वीकृत पद 192 के विरुद्ध 86 कार्यरत एवं 106 पद रिक्त, सिपाही कुल स्वीकृत पद 974 के विरुद्ध 586 कार्यरत एवं 378 पद रिक्त, तथा जमादार के कुल स्वीकृत पद 22 के विरुद्ध 14 कार्यरत एवं 08 पद रिक्त, है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पद रिक्त रहने से जिला में अपराध नियंत्रण में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक मधुबनी जिला में स्वीकृत पदों पर नियुक्त करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

परिणत करना

* 16. श्री आनन्दी प्रसाद यादव—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने सामान्य थाना के स्तर में सुधार लाने के लिए उसे मॉडल थाना का रूप देने की योजना वर्ष 2010 में बनाई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला सिकटी, पलासी, सोनामनी गुदाम एवं बरदाहा थाना नेपाल राष्ट्र सीमा से सटे होने के कारण महत्वपूर्ण है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त थाना को मॉडल थाना के रूप में परिणत करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

बैंक खोलना

*17. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारुन प्रखंडान्तर्गत सुन्दरगंज बाजार में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का कोई शाखा नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों की जनता की बैंकिंग कार्यों में काफी असुविधा होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक की शाखा खोलवाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना क्षेत्र में रखना

*18. श्री प्रेम रंजन पटेल—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि लक्खीसराय जिला अन्तर्गत सुर्यगढ़ा प्रखंडों का मदनपुर पंचायत 8 कि0मी0 दूर पीरी बाजार थाना क्षेत्र में पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आपराधिक घटना होने पर मदनपुर पंचायत में स्थित कजरा थाना रहते हुए आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण पीरी बाजार थाना के द्वारा दूर रहने के कारण नहीं हो पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आम लोगों की सुविधा तथा अपराध पर नियंत्रण करने हेतु मदनपुर पंचायत को कजरा थाना क्षेत्र में रखना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुक्त कराना

'ख' * 19. डॉ0 दाउद अली—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वक्फ नं0 2153/93 पटना जिलान्तर्गत महल्ला गोलकपुर, वार्ड नं0 20, खेसरा नं0 130 एवं 183, सर्किल नं0 42, शीट नं0 100 एवं 103, कुल रकबा 1,112 डिसमील पुस्तैनी कब्रिस्तान के बड़े हिस्से पर जगन्नाथ महतो, राजेन्द महतो, मो0 युसुफ, यासीन खान एवं अन्य का अवैध कब्जा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त खेसरा के मूल मालिक खुदाबख्स शाह के वारिश के बिना सहमति के उनके पुस्तैनी कब्रिस्तान को मिल्लत कमिटी, गोलकपुर द्वारा वक्फ कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुस्तैनी कब्रिस्तान को अवैध कब्जा से मुक्त कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी बनाना

*20. श्री राम लषण राम 'रमण'—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य मंत्रिपरिषद् ने दिनांक 31 मार्च, 2011 को राज्य के पुलिस आधुनीकीकरण हेतु एक अरब पच्चीस करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की, जिसमें मधुबनी जिला के रूद्रपुर थाना की चहारदीवारी बनाने हेतु पच्चीस लाख रुपया की स्वीकृति दी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा पच्चीस लाख रुपया अभीतक विमुक्त नहीं किये जाने के कारण चहारदीवारी का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो रूद्रपुर थाना की चहारदीवारी बनाने हेतु अभीतक राशि विमुक्त नहीं करने का क्या औचित्य है ?

जीप उपलब्ध कराना

*21. श्री राम लषण राम "रमण"—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के छः (6) सर्किल इंस्पेक्टरों (पुलिस) के पास पुलिस जीप नहीं है ;

'ख'– गृह (विशेष) विभाग को स्थानांतरित ।

(2) क्या यह बात सही है कि जीप गाड़ी के अभाव में निरीक्षण, वाद के अन्वेषण आदि का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त सर्किलों का जीप गाड़ी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

गिरफ्तार करना

*22. श्री प्रमोद कुमार सिंह––क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत भभुआ प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी पर दुष्कर्म का प्रयास एवं अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत भभुआ थाना कांड सं0 293/13 तथा सरकारी राशि के गबन का मामला चांद थाना कांड सं0 47/12 दर्ज है परंतु दो केसों में नामजद रहने के बावजूद आजतक उपरोक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त नामजद प्रखंड विकास पदाधिकारी, भभुआ, कैमूर की गिरफ्तारी करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबन्दी

*23. श्री अशोक कुमार सिंह––क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड में ग्राम–दुआरी, धनावां, बुधाल, शाहगंज, शैलेपुर, बराही एवं मंझौली तथा मदनपुर प्रखंड में पलकिया में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं होने से जमीन का अतिक्रमण हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल बनाना

*24. मो0 आफाक आलम––क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के कसबा, जलालगढ़, श्रीनगर एवं के0नगर प्रखंड से अनुमंडल की दूरी 20 कि0मी0 की दूरी है एवं प्रशासन को प्रशासनिक कार्य करने में कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कसबा अनुमंडल बनने हेतु सभी अर्हताएँ पूर्ण करती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों को मिलाकर कसबा को अनुमंडल बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था करना

*25. श्री जितेन्द्र कुमार––क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य ने फरवरी, 2013 में सरकार के उप–सचिव को अस्थावां विधान–सभा क्षेत्रांतर्गत अस्थावां प्रखंड एवं बिन्द प्रखंडों में ए0टी0एम0 की व्यवस्था कराने के संबंध में पत्र लिखा था ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य ने पत्र के आलोक में श्री अशोक प्रियदर्शी, सरकार के उप–सचिव ने अपने ज्ञापांक 499, दिनांक 08 मार्च, 2013 द्वारा मा0 सदस्य को सूचित किया है कि उक्त दोनों प्रखंड मुख्यालय में ए0टी0एम0 की व्यवस्था कर दी गई है, परन्तु आजतक उक्त दोनों प्रखंड मुख्यालयों में ए0टी0एम0 की व्यवस्था नहीं की गई है, यदि हां, तो गलत सूचना देने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए कबतक ए0टी0एम0 की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

कार्रवाई करना

*26. श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कृषि रोड मैप के तहत गन्ना के सिंचाई के लिये राज्य योजना मद से वर्ष 2013-14 में डीजल अनुदान योजना अन्तर्गत गोपालगंज जिला सहित आठ जिलों को कुल 24 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग ने अपने पत्र सं० 01/बजट-यो-622/2012, दिनांक 12 अप्रैल, 2013 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को 01 जुलाई तक डीजल अनुदान का भुगतान करने का आदेश निर्गत किया गया था;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त आवंटन में से 01 जुलाई, 2013 तक कितनी राशि खर्च हुई और यदि नहीं, तो इसके लिये दोषी पदाधिकारियों पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

बैंक खोलना

*27. श्री सुरेश चंचल--क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुरौल प्रखण्ड मुख्यालय में एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड मुख्यालय में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा नहीं रहने के कारण आम नागरिक/व्यापारियों को इसके लिये मुजफ्फरपुर या सकरा (ढोली) जाना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुरौल प्रखण्ड मुख्यालय में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*28. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी अनुमण्डल में स्थापित अग्निशामक दस्ता सामुदायिक भवन में चल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि वहाँ दूरभाष की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने से लोगों को आकस्मिकता में उनसे सम्पर्क करने में कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अग्निशामक केन्द्र में दूरभाष स्थापित करने का विचार रखती है, हां, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

मॉडल थाना खोलना

*29. श्री जितेन्द्र कुमार राय--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिले के अन्तर्गत मढ़ौरा थाना की स्थापना वर्ष 1904 में हुई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि मढ़ौरा थाना मॉडल थाना के रूप में परिवर्तित होने के सारे मानकों को पूरा करता है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा थाने को मॉडल थाना का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पदों को भरना

*30. डॉ० अच्युतानन्द--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 8 मई, 2013 के अंक में छपी खबर ''आर०टी०आई० आवेदनों के निपटारे का गति धीमी'' शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मार्च, 2013 तक पूरे राज्य से 129809 आर०टी०आई० के आवेदन प्राप्त हुये हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक 112968 आवेदनों का निष्पादन हुआ है और 13935 आवेदन लम्बित है;

(3) क्या यह बात सही है कि सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित 11 सूचना आयुक्तों के पद सृजित हैं लेकिन वर्तमान में मात्र 3 ही सदस्य कार्यरत हैं, जिससे आवेदनों का निष्पादन नहीं हो रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रिक्त पदों को भरते हुये आवेदनों का निष्पादन कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*31. श्री राजेश सिंह--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला एक अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जिलों में अल्पसंख्यक बालिका उच्च विद्यालय नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पश्चिमी चम्पारण के शितहां ब्लॉक में अल्पसंख्यक बालिका उच्च विद्यालय का निर्माण करने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बोर्ड कराना

*32. श्री राहुल कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला बल से सेवानिवृत्त पुलिस सहायक अवर निरीक्षकों के ए०सी०पी० बोर्ड हेतु डी०आई०जी०, सेंट्रल रेंज, पटना द्वारा पुलिस हेडक्वार्टर (डी०आई०जी०, पुलिस ऑफिस) को लेटर नं० 781/सा०शा०, दिनांक 18 जून, 2012 द्वारा भेजा गया है परन्तु आजतक पुलिस हेडक्वार्टर में ए०सी०पी० बोर्ड की बैठक नहीं हुई है, यदि हां, तो क्या सरकार पटना जिला बल से सेवानिवृत्त पुलिस सहायक अवर निरीक्षकों का ए०सी०पी० बोर्ड कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० खोलना

*33. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत सरमेरा प्रखण्ड के ग्राम-इसुआ में जो टाल इलाका है, में पुलिस ओ०पी० खोलने हेतु सरकार द्वारा निर्णय वर्ष 2006-07 में लिया गया था, परन्तु उक्त टाल क्षेत्र में आजतक उक्त निर्णय के आलोक में पुलिस ओ०पी० का निर्माण इसुआ ग्राम में नहीं हुआ है, यदि हां, तो सरकार टाल क्षेत्र में कबतक ओ०पी० खोलने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

प्रतिवेदन समर्पित नहीं कराना

*34. श्री मंजीत कुमार सिंह--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 को छपे खबर ''सूबे में बनेंगे 62 नये प्रखण्ड'' शीर्षक को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रमण्डल, जिला, अनुमण्डल एवं प्रखण्ड के पुनर्गठन एवं निर्माण हेतु वर्ष 2007 में एक समिति का गठन किया गया था, जिसका प्रतिवेदन 06 वर्षों के बाद भी प्राप्त नहीं हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण प्रमण्डल, जिला, अनुमण्डल एवं प्रखण्ड का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने में पदाधिकारियों को कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो विगत 06 वर्षों में प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने का क्या औचित्य है ?

जाम से मुक्ति

*35. श्रीमती उषा सिन्हा--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिले के हिल्सा प्रखंड में हिल्सा मुख्य सड़क एवं बाजार, स्टेशन रोड तथा बिहारी रोड में बसों तथा अन्य सवारी वाहनों के सड़क पर ही लगाकर सवारियों को उतारने एवं चढ़ाने के कारण घण्टों जाम की स्थिति बनी रहती है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थलों पर यातायात पुलिस की व्यवस्था नहीं रहने से तथा वाहनों के सड़क पर जहां-तहां खड़ा करने से आम जनता को परेशानी होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर यातायात पुलिस की व्यवस्था करके जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक ?

कब्रिस्तानों की घेराबन्दी

*36. श्रीमती मनोरमा प्रसाद--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिले के बैरिया प्रखंड अन्तर्गत ग्राम मलाही, बलुआ, सिसवा, सेरैया, ओझवलिया, तहवानन्दपुर, डिही टोला एवं नौतन प्रखंड के पूर्वी नौतन मेखटोली, द० तेलुहुआ, बुधवलिया, लरदाहा, सिहुनिया, पश्चिम नौतन इस्लामपुर खाप टोला, देवान टोला तथा बरदाहा हरिनगर स्थित कब्रिस्तानों का आजतक चहारदीवारी का कार्य नहीं किया गया है, यदि हां, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित गांवों के कब्रिस्तानों के चहारदीवारी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*37. श्रीमती गुड्डी देवी--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर प्रखंड के पंडोल मजार कब्रिस्तान की घेराबन्दी करने के लिए जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी द्वारा सीतामढ़ी के कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, सीतामढ़ी-1 को जनवरी, 2013 में प्राक्कलन बनाकर घेराबन्दी करने का निर्देश दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी आजतक नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं करने का क्या औचित्य है ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*38. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडीहा प्रखंड स्थित दिघिया कब्रिस्तान की घेराबन्दी वर्ष 2006-07 में प्रारम्भ की गई, जो आजतक अपूर्ण है, तथा अभिकर्ता द्वारा की गई आंशिक घेराबन्दी सम्पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है, यदि हां, तो कब्रिस्तान की घेराबन्दी पूर्ण नहीं करने वाले अभिकर्ता पर कार्रवाई करने के साथ कब्रिस्तान की घेराबन्दी करने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वापस लेना

*39. श्री विजय कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत एन०एच० 80 से सटे बी०बी०एम० ईंट भट्ठा पर गोबिन्द बिघा ग्राम के योगेन्द्र मंडल, महुलिया गांव के दशरथ साव एवं एक मजदूर की 21 जून, 2013 की रात धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि अपराधियों द्वारा रंगदारी टैक्स की मांग को लेकर सामूहिक हत्या के कारण दहशत पैदा हो गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि ग्रामीणों द्वारा अपराधियों को पकड़ने वास्ते शान्तिपूर्ण ढंग से किए जा रहे आन्दोलन की आवाज को दबाने के लिए निर्दोष दर्जनों ग्रमीणों पर मुकदमा कर दिया गया है;

(4) यदि ढपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अपराधियों को पकड़ने और पुलिस प्रशासन द्वारा निर्दोष ग्रामीणों पर किए गये झूठे मुकदमे को वापस लेने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था करना

*40. <u>डॉ० इजहार अहमद</u>--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल अनुमंडल बने 22 वर्ष हो गये हैं, जो 6 प्रखंड का अनुमंडल है;

(2) क्या यह बात सही है कि पुराने अनुमंडल होने के बावजूद भी आजतक पुलिस पदाधिकारी के लिए बैरक की व्यवस्था नहीं है, जिससे पुलिस पदाधिकारी को काफी कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिरौल अनुमंडल में कबतक पुलिस बैरक की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*41. <u>श्री अवनीश कुमार सिंह</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के 839 थानों में से 600 के भवनों की स्थिति जर्जर तथा आधारभूत संरचना विहीन है, यदि हां, तो क्या सरकार 600 थानों के भवन निर्माण सहित उनमें आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*42. <u>श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह</u>--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारून प्रखंड के ग्राम शेखबिगहा, बारून, मस्तूल, बारून, सिरीस, हेतमपुर जोगिया, रतनपुरा, धनगाई, कतया, सिलौजा, बड़का गांव, सोहदा, बगनाहा, करीमगंज, जगतपुर, उर्दिना, सदुरी में कब्रिस्तान का घेराबन्दी नहीं हुआ है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*43. <u>श्रीमती उषा सिन्हा</u>--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिले के हिल्सा प्रखंड अन्तर्गत कोरावां पंचायत के ग्राम फुलवरिया में 2 एकड़ 24 डिसमिल का कब्रिस्तान है, जिसकी घेराबन्दी आजतक नहीं किया गया है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*44. डॉ0 कृष्णनन्दन यादव--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिले के निमचक बथानी प्रखंड के होरीडीह ग्राम का कब्रिस्तान काफी संवेदनशील है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी अभीतक नहीं हुई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*45. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल थानान्तर्गत ग्राम पोखराम में 1200 घरों की आबादी में चार घर मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त अल्पसंख्यकों को खाता नं0 1372, 1510, 1961, 1979, 1367 जिसका खेसरा नं0 क्रमश: 2737, 2741, 2749, 4740, 2736, 2738 है, का वासगीत पर्चा निर्गत है जिसकी जमाबंदी कायम है;

(3) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त परिवारों यथा जहीर अंसारी, हलीमा खातून, मदीना खातून एवं मो0 फिरोज अंसारी को इंदिरा आवास का आवंटन होने के बावजूद उसी गाँव के जटाय झा, लक्ष्मीकांत झा, चंद्रकांत झा वगैरह द्वारा घर नहीं बनाने दिया जाता है;

(4) क्या यह बात सही है कि उक्त संबंध में तत्कालीन नेता विरोधी दल, बिहार विधान-सभा के पत्रांक 409का0/12, दिनांक 19 जून, 2012 द्वारा प्रधान सचिव, गृह विभाग को लिखा गया था, यदि हां, तो उक्त पत्र पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है ?

मुआवजा देना

*46. श्री अख्तरूल ईमान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 24 जून, 2013 को पं0 चम्पारण के बेतिया के बगहा में पुलिस फायरिंग में मारे गए मृतक के आश्रितों को पाँच-पाँच लाख रुपया तथा गंभीर रूप से घायलों को पचास-पचास हजार रुपया का मुआवजा सरकार की ओर से तत्काल 27 जून, 2013 को दिया गया है, साथ ही घायलों का इलाज भी सरकारी तौर पर किया जा रहा है । किन्तु वर्ष 2011 में फारबिसगंज के भजनपुरा में पुलिस फायरिंग में मारे गए मृतक के परिजनों को अबतक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भजनपुरा में भी पुलिस फायरिंग में मारे गए मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना का निर्माण

*47. श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि छपरा जिला के रिविलगंज थाना अन्तर्गत टेकनिवास बाजार अवस्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बाजार थाना से लगभग 10 कि0मी0 की दूरी पर है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त बाजार पर बैंक डकैती एवं लगातार अपराधिक घटनाएँ घटित होती रहती है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बाजार पर नये थाना/ओ0पी0 का निर्माण करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*48. श्री संजय सिंह टाइगर--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 24 अप्रील, 2013 को प्रकाशित शीर्षक ''पार्सल से बिहार पहुँच रहे जाली नोट'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के आर्थिक अपराध इकाई द्वारा वर्ष 2012 से मार्च, 2013 के बीच 26,79,500 रुपये के जाली भारतीय नोट पकड़े गये जबकि पूरे राज्य में इसकी संख्या 56,31,340 रुपया है;

(2) क्या यह बात सही है कि भारतीय जाली नोट पार्सल एवं रेल मार्ग से राज्य के पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी जिलों से पकड़ा गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जाली नोटों के कारोबार पर रोक लगाने के लिए कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

शांति स्थापित करना

*49. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह आरक्षी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के केसरिया थाना माओवाद प्रभावित है, उक्त थाना में विजधरी ओ0पी0 स्थापित है जिसको नवसृजित सरकारी पुलिस भवन में ओ0पी0 चलाने के लिए जिले के तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक, गणेश कुमार द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2013 को उद्घाटन कर पुलिस बल के तैनाती का आदेश दिया गया;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस बल की अभीतक तैनाती नहीं होने से उक्त क्षेत्र में घटित घटनाओं के क्षेत्र में भय व्याप्त है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त ओ0पी0 में पुलिस बल की तैनाती कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*50. श्री राम नरेश प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के बेला थाना अन्तर्गत नरंगा उत्तरी, नरंगा दक्षिणी, धनहा, बधुआरा लहुरिया, वाया, खैरबा-भीसवा पंचायत पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि इनके बीच से अधवारा समूह की नदियों के कारण आवागमन बाधित होने से थाना पर जाने में कठिनाई होती है;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012-13, 2013-14 में दर्जनों जगह पर डकैती, मोटर साइकिल लूट, मंदिर से मूर्ति की चोरी की घटना घटित हुई है.

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त पंचायतों के बीच में थाना निर्माण कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नौकरी देना

*51. श्री राजेश सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया के बगहा में पुलिस फायरिंग दिनांक 25 जून, 2013 को हुई थी, जिसमें ब्रह्मदेव, पे0 अमर खतईत, धर्मजीत खतईत, पे0 अमर खतईत, अनूप कुमार, पे0 भीम चैतरिया, भूपदेव कुमार, पे0 भीम महतो, तुलसी राय, पे0 सुखदेव राय एवं अनिल राय, पे0 किशुन राय की मृत्यु पुलिस की गोली लगने से हो गई है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मृतक परिवार के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 29 जुलाई, 2013 (ई0) ।

फूल झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि0 स0 मु0 (एल0 ए0) 30--डी0 टी0 पी0--450